न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री सुधीर कुमार शर्मा आई.ए.एस.

राजस्व अपील :: 26/2016 ::

अपीलांटगण :-	बनाम	रेस्पोडेन्ट :-
अहमद खॉ पुत्र कालूखॉजी उम्र 53, जाति मिरासी मुसलमान निवासी दयालपुरा तहसील पाली जिला पाली हाल– भाटों की गली, पाली		1. लीला पत्नि गफूर खां 2. जनकी पत्नि रावत खां 3. खातुनबानू उर्फ खेतकी पत्नि इब्बू खां 4. जरीनाबानू उर्फ जन्नत पत्नि भूरे खां 5. बोनकी पत्नि दौला खां 6. गफुरखां पुत्र बाबु खां 7. रावतखांजी पुत्र बाबु खां 8. लीला पुत्री बाबु खां 9. गीता पुत्री बाबु खां 10. हफ्तुखां पुत्र सकूर खां 11. इकुखां पुत्र सकूर खां 12. भूरेखां पुत्र सकूर खां 13. नारूखां पुत्र सकूर खां 14. दौलाखां पुत्र सकूर खां तमाम उम्र बालिग जातिगण मिरासी मुसलमान, निवासीगण दयालपुरा, तहसील पाली, जिला पाली 15. राजस्थान सरकार (भूमिधारी) जरिये तहसीलदार, पाली राजस्थान

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– अपीलांट की ओर से एडवोकेट श्री लक्ष्मण के. चौधरी
सरकारी पैरोकार श्री खीमाराम

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 09.01.2018

अपीलांट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नायब तहसीलदार पाली के नामान्तरकरण संख्या 489 स्वीकृत दिनांक 06.10.1974 के विरूद्ध पेश की है। अपील म्याद बाहर होने से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया गया है। अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट जरिये सम्मन व अपीलाधीन रेकर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेण्टगण अनुपस्थित होने से बहस अधिवक्ता अपीलाण्ट व सरकारी पैरोकार रेस्पोडेण्ट संख्या 15 सूनी गई।

वकील अपीलाण्ट ने बहस के दौरान कथन किया कि मौजा दयालपुरा, पटवार हल्का दयालपुरा तहसील पाली के खसरा नम्बर 658 रकबा 0.11 बीघा किस्म गै.मु. बेरा व खसरा नम्बर 659 रकबा 35.14 बीघा किस्म चाही सोयम कुल खसरान् 2 कुल रकबा 36.05 बीघा सह खातेदारी कृषि भूमि स्थित है। उक्त खातेदारी भूमि में अपीलाण्ट के पिता कालूखां पुत्र सेसा राजस्व रेकर्ड अनुसार 1/2 हिस्से का खातेदार दर्ज था। जिनकी मृत्यु पश्चात फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 489 पटवारी हल्का दयालपुरा द्वारा भरा गया। पटवारी हल्का द्वारा कालूखां का फौतेदगी नामान्तरकरण भरते वक्त न तो विधिक वारिसान/उत्तराधिकारियों की जांच की गई न ही विधिक वारिसान को सूना गया तथा न ही इस संबंध में कोई नोटिस जारी किए गए मात्र आम जानकारी के आधार पर मुमताज एवं असकर उर्फ असगर पिसरान् कालू के नाम से भर दिया गया। कालूखां पुत्र सेसा की मृत्यु के समय उसके दो जायन्दा पुत्र अपीलाण्ट अहमदखां तथा असकर उर्फ असगर थे। जबकि पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरकरण में अहमदखां का नाम इन्द्राज

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

क्रमश.....2

करते वक्त अहमद खां की जगह मुमताज इन्द्राज कर दिया गया। जो सही नहीं है। जबकि फौतेदगी नामान्तरकरण भरने से पूर्व विधिक वारिसान की जांच करना, उन्हें सूनना तथा उसके पश्चात ही भरा जाना चाहिए था। लेकिन पटवारी हल्का द्वारा ऐसी किसी प्रकिया को नहीं अपनाया गया। जैर अपील भूमि पर अपीलाण्ट एवं उसके भाई असकर उर्फ असगर का उनके पिता कालूखां की मृत्यु के पश्चात से विधिक कब्जा रहा है तथा अपीलाण्ट के भाई के लाऔलाद व उसकी मां के फौत हो जाने के पश्चात से उक्त समस्त भूमि पर उसका बिना रोक–टोक कब्जा–काश्त आज भी कायम है। इस संबंध में अपीलाण्ट ने पड़ोसी खातेदार नरपतसिंह एवं गोविन्द गिरी के शपथ पत्र तथा ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र इस आशय का पेश किया कि अहमद खां पुत्र कालु खां जाति मिरासी मुसलमान दयालपुरा का ही निवासी था जो कालु पुत्र सेसा का पुत्र है। जिसका पुश्तैनी मकान ग्राम दयालपुरा में है तथा वर्तमान भाटों की गली पाली में निवासरत है। इस संबंध में रेस्पोडेण्ट संख्या 7 रावत खां ने भी स्वयं उपस्थित होकर अपीलाण्ट अहमद खां के समर्थन में अपना जवाब पेश किया। जिसके अनुसार अपीलाण्ट कालु पुत्र सेसा का वर्तमान में इकलौता वारिश है। कालु खां के मुमताज नाम का कोई पुत्र नहीं है। राजस्व रेकर्ड में मुमताज नाम गलत दर्ज किया है, सही एवं वास्तविक नाम अहमद खां है एवं अपीलाण्ट का नाम अहमद खां सही रूप से दर्ज किया जाता है तो उसे कोई आपति नहीं है। उपरोक्त सभी तथ्यों के आधार पर जैर अपील नामान्तरकरण निरस्त फरमाया जावें एवं सही नाम अहमद खां इन्द्राज किए जाने का तहसीलदार पाली को आदेश दिलावें। अपीलाण्ट को किसान केडिट कार्ड बनावाने हेतु जैर अपील भूमि की जमाबन्दी, गिरदावरी एवं नक्शा वगैरा की नकलें प्राप्त करने हेतु पटवारी हल्का से सम्पर्क करने पर उसके नाम का अहमद खां के स्थान पर गलत नाम "मुमताज" दर्ज होने की जानकारी हुई तो राजस्व केम्प में नाम सुधार हेतु आवेदन किया तो वहां अधिकारियों द्वारा क्षेत्राधिकार का नहीं होने का बताया जाने पर बिना किसी प्रकार के देरी किए नकलें प्राप्त कर श्रीमान के समक्ष जानकारी से अन्दर म्याद अपील पेश की गई। जिसे अन्दर म्याद शुमार किया जाकर जैर अपील नामान्तरकरण में सही नाम अहमद खां अंकन किये जाने के आदेश फरमावे।

सरकारी पैरोकार ने वक्त बहस कथन किया कि जैर अपील नामान्तरकरण सन् 1974 में स्वीकृत किया गया है। जिसको लगभग 43 वर्ष हो चुके है। इसलिए प्रस्तुत अपील स्पष्ट रूप से म्याद बहार होने से खारीज योग्य है। जैर अपील नामान्तरकरण से किसी भी व्यक्ति के हक–हकूक प्रभावित नहीं होते है तथा अपीलाण्ट 1984 से पाली में रह रहा है तथा जैर अपील नामान्तरकरण के पश्चातवर्ती नामान्तरकरण संख्या 1856 दिनांक 15.07.2015 भरा गया। उस समय भी अपीलाण्ट को जानकारी थी। अपीलाण्ट का नाम मुमताज नहीं होकर अहमद खां है। इस संबंध में ठोस साक्ष्य पेश नहीं किए गए है। जिससे अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम दयालपुरा पटवार हल्का दयालपुरा तहसील पाली के खसरा नम्बर 658 रकबा 0.11 बीघा किस्म गै.मु.बेरा एवं खसरा नम्बर 659 रकबा 35.14 बीघा किस्म चाही सोयम दोनों खसरान् की कुल भूमि 36.05 बीघा शामलाती खातेदारी की स्थित है। जिसमें अपीलाण्ट के पिता कालू पुत्र सेसा का नाम राजस्व रेकर्ड अनुसार 1/2 हिस्से का खातेदार दर्ज था। अपीलाण्ट के पिता कालु की मृत्यु के उपरान्त नामान्तरकरण संख्या 489 दिनांक 06.10.1974 नायब तहसीलदार पाली के द्वारा स्वीकृत किया गया है। जिसमें कालु पुत्र सेसा के वारिशान मुमताज, असगर पिसरान् कालु 1/2 दर्ज किया गया है। वकील अपीलाण्ट द्वारा अपीलाण्ट के सही नाम अहमद के स्थान पर गलत नाम मुमताज इन्द्राज हो जाने का कथन किया है।

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

क्रमश.....3

जिसके संशोधन हेतु आदेश बाबत निवेदन किया है। इस संबंध में वकील अपीलाण्ट द्वारा अपीलाण्ट के मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक एवं निर्वाचन नामावली सन 1983 प्रमाणित प्रति की फोटोप्रति भी पेश की है। निर्वाचन नामावली में अहमद खां/कालु खां व जैतुन/कालुखां दर्ज है। जैतुन कालु खा की पत्नि एवं अहमद की मां है। जिसका नाम राजस्व रेकर्ड की जमाबन्दी संवत 2072–75 के कॉलम संख्या 11 व 12 में दर्ज है। रेस्पोडेण्ट संख्या 7 द्वारा अपने जवाब में अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्यों की ताईद करते हुए मुमताज पुत्र कालु का नाम गलत इन्द्राज बताते हुए वास्तविक नाम अहमद खां पुत्र कालु होना जाहिर किया गया है साथ अपीलाण्ट द्वारा जैर अपील भूमि के पड़ोसी खातेदार नरपतसिंह एवं गोविन्दगिरी के शपथ पत्र भी पेश किए है। जो अपीलाण्ट के कथनों का समर्थन करते है। अपीलाण्ट द्वारा सरपंच, ग्राम पंचायत दयालपुरा द्वारा प्रदत एक प्रमाण पत्र की प्रति भी पेश कि है। जिसके अनुसार अहमद खां पुत्र कालु खां जाति मिरासी मुसलमान ग्राम दयालपुरा का निवासी है। जो कालु पुत्र सेसा का पुत्र है। जिसके पुश्तैनी मकान ग्राम दयालपुरा में है तथा वर्तमान में अहमद खां भाटों की गली, पाली में निवास करता है। इस प्रकार उपरोक्त सभी तथ्यों से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी के नाम का इन्द्राज जैर अपील नामान्तरकरण में सही रूप से नहीं हुआ है। जिसका संशोधन किया जाना न्यायोचित है।

परिणाम स्वरूप अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 489 स्वीकृत दिनांक 06.10.1974 को निरस्त किया जाता है एवं तहसीलदार पाली को निर्देशित किया जाता है कि कालु खां पुत्र सेसा के फौतेदगी नामान्तरकरण में अपीलाण्ट का बाद जांच सही नाम दर्ज किया जाना सुनिश्चित करें। मुल नामान्तरकरण के साथ निर्णय की प्रति तहसीलदार पाली को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 09.01.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुधीर कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, पाली

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)